Result Mitra Daily Magazine

विदेश नीति पर केन्द्र की शक्ति

❖ हालिया संदर्भ :

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने गाजा में संघर्ष के बीच इजरायल को सैन्य निर्यात रोकने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विदेश नीति के मामलों पर निर्णय लेना सरकार का काम है न कि न्यायालय का।

❖ क्या था मामला :

- दरअसल कुछ पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों एवं कार्यकर्ताओं ने SC में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इजरायल द्वारा गाजा में नरसंहार किया जा रहा है और इस स्थिति में भारत द्वारा इजरायल को हथियार निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार (अनुच्छेद 14 एवं 21) के साथ-साथ अनुच्छेद 51C का भी उल्लंघन है।

❖ न्यायालय का निर्णय :

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि याचिका को मूलतः इसलिये खारिज कर दिया गया क्योंकि विदेशी मामलों के संचालन के संबंध में अनुच्छेद-162 के तहत अधिकार क्षेत्र केन्द्र सरकार के पास निहित है।
- न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं जे.वी. पारदीवाला ने कहा कि अनु.-253 के तहत वर्णित प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि संसद को किसी अन्य देश/देशों के साथ किसी संधि/समझौते/सम्मेलन या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगठन या किसी अन्य निकाय में लिये गए निर्णय को भारत के किसी विशेष क्षेत्र या पूरे भारत में लागू करने की शक्ति प्राप्त है।
- SC ने आगे कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभिन्न अंग है, जब तक कि कानून के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को सक्षम विधायिका द्वारा कानून बनाकर स्पष्ट रूप से दोनों में भिन्नता न स्थापित कर लिया गया हो।

❖ अनुच्छेद-32 का मामला :

- SC ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में यह विचारणीय मुद्दा हो सकता है कि क्या मूल अधिकारो (अनु. 14 एवं 21) के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद-32 के तहत न्यायिक आदेश द्वारा भारत सरकार को इजरायल की सैन्य उपकरण निर्यात करने, मौजूदा लाइसेंस रद्द करने एवं इजरायल को सैन्य उपकरण निर्यात किये जाने के लिये नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने के लिये रिट जारी कर सकती है।
- SC ने कहा कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर भी एक से ज्यादा कारणों से नकारात्मक (नहीं) होना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि SC का न्यायिक क्षेत्र इजरायलल तक विस्तृत नहीं है और एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते इजरायल भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के लिये न तो उत्तरदायी है और न ही हो सकता है।
- चूँकि याचिकाकर्ता ने इजरायल पर जो आरोप लगाए हैं, उसके तथ्यों की जाँच करना अनिवार्य है लेकिन संप्रभु राज्य (इजरायल) पर अधिकार क्षेत्र के अभाव में न्यायालय ऐसा नहीं कर सकती है।
- दूसरा पहलू यह है कि याचिका में भारतीय कंपनियों द्वारा सैन्य उपकरणों एवं हथियारों के निर्यात के लिये मौजूदा लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई है। यह मानते हुए कि इनमें से कुछ लाइसेंस इजरायल सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अनुबंधों (Contracts) द्वारा शासित है, अतः न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों एवं समझौते के उल्लंघन के लिये न्यायिक निर्देशों को लागू करेगा लेकिन यह विषम परिस्थिति को जन्म दे सकता है।

Result Mitra TM

- ऐसे उल्लंघनों के नतीजों को न्यायालय द्वारा पूर्ण सक्षमता से आंका नहीं जा सकता, साथ ही ऐसा करने से भारतीय कंपनियों को ऐसी कार्यवाही में भाग लेना पडेगा, जो उनकी वित्तीय कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है।

❖ पर्याप्त शक्ति :

- SC ने कहा कि भारतीय कानून के प्रावधान केन्द्र सरकार को ऐसे मामले में कारवाई करने के लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं।
- केन्द्र सरकार चाहे तो विदेशी व्यापार (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अलावा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ऐसे निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- चूँकि यह मामला आर्थिक, भू-राजनैतिक एवं अन्य हितों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिये इस पर फैसला लेना केन्द्र सरकार का ही कार्य है।

❖ अनुच्छेद-51

- यह भाग-IV में वर्णित 'राज्य के नीति-निदेशक तत्व' (DPSP) का सबसे अंतिम अनुच्छेद है।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा देने की बात कही गई, जिसमें उप-वर्गीकृत है -

➢ 51a : अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढावा देना

➢ 51b : विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक रिश्ते को बनाए रखना

➢ 51c : संगठित लोगों के बीच परस्पर व्यवहार में संधि दायित्वों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान को बढावा देना

➢ 51d : मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटारा करना

Result Mitra TM